

From Page One

‘भारत, चीन सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध’

श्री मिसरी ने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने संतुलित द्विपक्षीय व्यापार पर विचारों का आदान-प्रदान किया और माना कि उनकी अर्थव्यवस्थाएँ विश्व व्यापार को स्थिर कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि वे व्यापार घाटे को कम करते हुए व्यापार और निवेश संबंधों को सुगम बनाने पर सहमत हुए। विदेश सचिव ने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर चर्चा की और श्री मोदी ने श्री शी से कहा कि बढ़ता व्यापार चीन के प्रति दुनिया की धारणा में बदलाव लाने में योगदान देगा।

यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ युद्धों की पृष्ठभूमि में हुई, लेकिन श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत और चीन के संबंधों को "तीसरे देश के चश्मे" से नहीं देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं, वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि वे बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार जैसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों पर अपने साझा आधार का विस्तार करेंगे।

'सकारात्मक गति'

"राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक सार्थक बैठक हुई... हमने कज़ान [रूस में, अक्टूबर 2024 में] में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक गति की समीक्षा की," श्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा। उन्होंने आगे कहा, "हम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर सहमत हुए और आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी एकजुटता पर आधारित सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।"

श्री शी ने कहा कि दोनों देशों को शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और सीमा मुद्दे को अपने समग्र संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि "डूंगन और हाथी का सहयोगी पा-दे-दो दोनों देशों के लिए सही विकल्प होना चाहिए।" श्री शी ने कहा कि चीन और भारत प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयोग साझेदार हैं, और श्री मोदी ने भी यही भावना दोहराई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने दोहराया कि दोनों देश "विकास साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, और उनके मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लेन से भी मुलाकात की और संकटग्रस्त देश की विकासात्मक आवश्यकताओं में सहयोग के लिए भारत की तत्परता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने कहा कि भारत अपनी 'पड़ोसी पहले', 'एक्ट ईस्ट' और हिंद-प्रशांत नीतियों के तहत म्यांमार के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है।

श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि म्यांमार में आगामी चुनाव सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निष्पक्ष और समावेशी तरीके से होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत म्यांमार के नेतृत्व वाली और म्यांमार के स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है, जिसके लिए शांतिपूर्ण बातचीत और परामर्श ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

तिआनजिन घोषणापत्र के समर्थन का संकेत

प्रधानमंत्री ने रविवार रात श्री शी और उनकी पत्नी पेंग लियुआन द्वारा आयोजित एक भोज समारोह में भी भाग लिया, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ सहित अन्य एससीओ नेता शामिल थे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री मोदी ने मौजूदा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन को सौंपे जाने के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इससे यह संकेत मिलता है कि दस सदस्यीय समूह के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के बाद सोमवार को हस्ताक्षरित और जारी किए जाने वाले तियानजिन घोषणापत्र पर उनके द्वारा कोई आपत्ति उठाए जाने की संभावना नहीं है।

श्री मोदी ने श्री शी को 2026 में भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि श्री शी ने उस समूह की अध्यक्षता भारत को सौंपे जाने के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति की सदस्य कै क्यूई से भी मुलाकात की और "दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को साकार करने" के लिए समर्थन मांगा। मंत्रालय ने कहा कि श्री कैई ने द्विपक्षीय आदान-प्रदान बढ़ाने की चीनी पक्ष की इच्छा दोहराई।

(लेखक चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन के निमंत्रण पर चीन में हैं)

प्रधानमंत्री ने श्री जिनपिंग से कहा, दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं

रविवार की बैठक के बाद तियानजिन में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में श्री मिसरी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपनी समझ को बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि यह एक ऐसा संकट है जिसके शिकार चीन और भारत दोनों रहे हैं, और भारत अभी भी इस समस्या से जूझ रहा है, और उन्होंने इस विशेष मुद्दे पर चीन का समर्थन मांगा।"

पाकिस्तान को चीनी सहायता पर कोई टिप्पणी नहीं

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, श्री मिसरी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद को प्राथमिकता बताया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़े एक प्रश्न को टालते हुए उन्होंने कहा, "श्री मोदी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि यह भारत और चीन दोनों को प्रभावित करने वाला विषय है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए एक-दूसरे के प्रति समझ और समर्थन बढ़ाएँ।" श्री मिसरी ने यह भी कहा कि सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के मुद्दे पर भारत को शंघाई सहयोग संगठन में चीन की "समझ और सहयोग" प्राप्त हुआ है। भारत को उम्मीद है कि सोमवार को जारी होने वाले एससीओ के संयुक्त वक्तव्य में सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे का ज़ोरदार जिक्र होगा।

बदलता रुख

पूछे जाने पर, अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि श्री मिसरी चीन के खिलाफ़ आतंकवाद की किन विशिष्ट घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। पिछले एक दशक से, चीन देश में हिंसा के लिए तिब्बती और उइगर समूहों और पाकिस्तान में चीनी कामगारों पर हमलों के लिए बलूच समूहों को जिम्मेदार ठहराता रहा है। हालाँकि, भारत ने पहले इन दावों का समर्थन नहीं किया है, और कई मौकों पर शिनजियांग और बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया है।

छह महीने में विशाल आयकर अधिनियम को सरल बनाना

आयकर विभाग ने विशाल आयकर अधिनियम, 1961 को युक्तिसंगत और सरल बनाने का "विशाल" कार्य लगभग छह महीनों में कैसे पूरा किया, और फिर प्रवर समिति के विशाल सुझावों को केवल एक महीने में कैसे लागू किया? उस समय में 75,000 मानव-घंटे का काम करके और यहाँ तक कि परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी काम पर लगाकर, बस यही तरीका था।

परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम, 2025 अत्यधिक संक्षिप्त और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बना।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के विधान प्रभारी सदस्य आर.एन. पर्वत ने द हिंदू को बताया, "माननीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई, 2024 को घोषणा की थी कि छह महीने के भीतर कानून को सरल बनाने, उसे अधिक सुस्पष्ट, स्पष्ट और सटीक बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।" "यह कार्य राजस्व विभाग और सीबीडीटी को सौंपा गया था। इसे आंतरिक रूप से किया जाना था।"

14 अगस्त तक, मुख्य आयकर आयुक्त वी.के. गुप्ता के नेतृत्व में मसौदा समिति का गठन हो गया, और तभी से काम शुरू हुआ। उप-समितियाँ बनाई गईं ताकि कानून के हर पहलू पर विचार किया जा सके और अनावश्यक धाराओं को हटाया जा सके और बाकी की समीक्षा की जा सके।

26 उप-समितियाँ

जैसे-जैसे कार्य का दायरा स्पष्ट होता गया - मूल 1961 के अधिनियम में 819 धाराएँ थीं - उप-समितियों की संख्या भी बढ़ती गई। श्री परबत के अनुसार, इसके अंत तक 26 अलग-अलग उप-समितियाँ हो गईं।

इसके अलावा, इस प्रक्रिया में एक समीक्षा समिति भी शामिल की गई, जिसे हमसौदा उप-समितियों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था।

श्री परबत ने बताया, "समीक्षा समिति द्वारा अपना कार्य पूरा करने के बाद, यह सीबीडीटी के कर नीति एवं विधान [टीपीएल] प्रभाग के पास आया।"



डेक पर: आयकर अधिनियम, 2025, अगले वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। गेटी इमेजेज़

“और उसके बाद, जब मसौदा तैयार हुआ, तो सीबीडीटी के वरिष्ठ अधिकारियों के एक अन्य समूह ने इसकी समीक्षा की।”

इस दौरान, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री ने मसौदा समिति और टीपीएल के साथ नियमित रूप से ब्रीफिंग की, और विधि मंत्रालय से भी परामर्श किया गया।

श्री परबत ने कहा, “यह कार्य व्यापक था, जिसमें विभाग के 150 से अधिक अधिकारी इस पर काम कर रहे थे।” “इसमें हमारे अध्यक्ष भी शामिल थे, जो 1988 बैच के थे। साथ ही, टीम में सबसे कनिष्ठ व्यक्ति 2018 बैच का था।

इस उद्देश्य के लिए पूरे भारत से अधिकारियों का चयन किया गया था। हमने नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अपने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया।”

मसौदा समिति के गठन के छह महीने बाद, 13 फरवरी, 2025 को विधेयक का मसौदा संसद के समक्ष रखा गया।



Rajesh Kumar Singh

Defence Summit. The Defence Secretary said about 38 Tejas jets are already in service and another 80-odd are being manufactured.

In February 2021, the Defence Ministry sealed a ₹48,000 crore deal with HAL for the procurement of 83 Tejas Mk-1A jets for the IAF.

The delivery of the jets is facing delays primarily due to the U.S. defence major GE Aerospace missing sev-

eral deadlines for the supply of its aero engines to power the jets.

Last week, the government approved an additional batch of 97 Tejas fighters at a cost of around ₹67,000 crore. “I have made it clear to HAL that we will sign this contract only after HAL delivers two Tejas featuring a complete package,” Mr. Singh said on the additional procure- ment. He said HAL “will have an order book for four to five years”.

“Hopefully, they (HAL) will be able to perfect this platform, integrate the ra- dar and Indian weapons, so that it becomes a work- horse for us along with the Sukhoi,” Mr. Singh said.

“There will still be a gap and for that gap, we will have to look at some other options,” he said.

अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 और खंडों की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है।

नए विधेयक में स्पष्टीकरण के लिए 57 तालिकाएँ शामिल की गईं, जो पहले 18 थीं, और पिछले छह की तुलना में 46 सूत्र।

भाषा को बहुत सरल बनाया गया, जहाँ तक संभव हो सके, शब्दजाल और 'बावजूद' जैसे पुराने शब्दों को हटा दिया गया, और जहाँ ज़रूरत पड़ी, वहाँ उदाहरण भी दिए गए।

इस संदर्भ में, संसदीय प्रवर समिति, जिसे इन परिवर्तनों की समीक्षा का काम सौंपा गया था, को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पाँच महीने लगे।

श्री पर्वत ने कहा, "उन्होंने हमें लगभग 1,312 सुझाव भेजे, इसलिए हमारे टीपीएल प्रभाग के अधिकारियों ने प्रारूपण समिति के मुख्य समिति सदस्यों के साथ मिलकर लिखित उत्तर तैयार किए और उन्हें प्रवर समिति को सौंप दिया।"

राजस्व सचिव, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री परबत और उनकी टीम तथा प्रारूप समिति के मुख्य सदस्यों से लिखित और मौखिक उत्तर प्राप्त करने के बाद, स्थायी समिति ने 16 जुलाई, 2025 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

‘विशाल कार्य’

संशोधित विधेयक 12 अगस्त, 2025 को संसद में पारित हुआ – प्रारूप समिति के गठन के ठीक एक वर्ष बाद।

श्री परबत ने कहा, “प्रक्रिया हमें दिए गए समय के भीतर शुरू और पूरी कर ली गई, इसलिए अब यह सवाल ही नहीं उठता कि क्या हमें इसे पूरा करने के लिए और समय चाहिए होता।” उन्होंने आगे कहा, “यह एक विशाल कार्य था जिसमें 75,000 मानव-घंटे लगे, इसलिए चाहे आप इसे दो साल में पूरा करें या छह महीने में, काम की मात्रा उतनी ही थी जितनी की आवश्यकता थी।”